कार्यालय प्रधानाचार्य, उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर उ0प्र0।

ई–मेलः principalasmcjaunpur@gmail.com
वेबसाइटः www.asmcjaunpur.edu.in

पत्रांकः मेडि0का0जौनपुर/2022–23/1261

दिनांकः 01/10/2022

::संविदा विज्ञप्ति::

इस कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या–मेडि0का0जौनपुर/2022–23/83 दिनांकः 16/04/2022 के द्वारा हिन्दी/अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रो में नियमित सेवायोजन विज्ञप्ति एवं संविदा विज्ञप्ति संख्या–मेडि0का0जौनपुर/2022–23/485 दिनांकः 12/07/2022 के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किये जाने के क्रम में इस चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विशिष्टताओ में आचार्यो, सह–आचार्यो तथा सहायक आचार्यो के रिक्त पदो को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु साक्षात्कार (वॉक–इन–इन्टरव्यू, 01 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक) प्रत्येक दिन सोमवार से शनिवार प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक (अवकाश दिवस को छोड़कर) प्रधानाचार्य कार्यालय उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर में सम्पन्न किये जायेगे।

उक्त संविदारत पदों पर चयन की प्रक्रिया प्रधानाचार्य/चयन समिति की संस्तुति के आधार पर अन्तिम चयन उ0प्र0 शासन/महानिदेशालय, लखनऊ के स्तर से पूर्ण की जायेगी। पदो की संख्या घटाई–बढाई जा सकती है। रिक्त पदो का विवरण निम्नवत् है–

क्रमांक	विशिष्टता का नाम	आचार्य		सह आचार्य		सहायक आचार्य	
		पदों की संख्या	श्रेणी	पदों की संख्या	श्रेणी	पदों की संख्या	श्रेणी
1.	आब्स एण्ड गायनी	01	SC	–	-	01	OBC
2.	एनाटमी	–	-	–	-	02	1 SC, 1 UR
3.	एनेस्थीसिया	–	–	01	SC	–	–
				01	UR		
4.	जनरल मेडिसिन	01	OBC	01	OBC	–	–
				01	UR		
5.	जनरल सर्जरी	01	UR	01	OBC	–	–
6.	पैथोलॉजी	–	–	01	UR	–	–
7.	डर्मेटोलोजी	–	–	01	UR	–	–
8.	फार्माकोलोजी	–	–	01	SC	–	–
9.	फिजियोलोजी	–	–	–	–	01	OBC
						01	EWS
10.	फोरेन्सिक मेडिसिन	–	–		–	01	SC
11.	बायोकेमेस्ट्री	–	–	–	–	01	UR
12.	माइक्रोबायोलोजी	–	–	01	UR	–	–
13.	रेडियोडायग्नोसिस	–	–	–	-	01	SC
योग		03		09		08	

इच्छुक अभ्यर्थियो से यह अपेक्षा की जाती है कि वह National Medical commission /Medical Council of india. Qulification for Teachers as per Medical Insttutions Regulation, 2022 Dated-14-02-2020 and National Medical commission Letter no.NMC/34(41)/2021/Med.Misc./047068, Dated-20-12-2021 के मानको के अनुसार अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्रो एवं शैक्षिक/जाति/अनुभव/शोध/आधार कार्ड/पैन कार्ड पत्रो की (स्व–प्रमाणित) छायाप्रति संलग्न कर 01 सेट एवं 02 पासपोर्ट फोटो सहित साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित हो। इस यात्रा हेतु किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।(आवेदन हेतु विस्तृत जानकारी महाविद्यालय जौनपुर की बेवसाइड– **www.asmcjaunpur.edu.in** पर उपलब्ध है।)

भवदीय,

(प्रो0 शिव कुमार)
प्रधानाचार्य
उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर

[इ]न सभी पदों पर सामान्य उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

स्पस्टीकरणः–उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर के सुलभ संचालन के दृष्टिगत यदि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो इन सीटों पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति की जाएगी क्योंकि पूर्व में इन आरक्षित पदों को तीन बार उ0प्र0 सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार विज्ञापन संख्याः 16076 दिनांक 22.12.2020 एवं विज्ञापन संख्याः 18503 दिनांक 29.01.2021 द्वारा उक्त पद को विज्ञापित किया गया था, तीसरी बार विज्ञापन संख्याः मेडि0का0जौनपुर/2021/20438–43 दिनांक 06.03.2021 चौथी बार पत्रांकः मेडि0का0जौनपुर/2022–23/83 दिनांकः16/04/2022 द्वारा पुनः विज्ञापित किया गया था

संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत् हैः–

1. सक्षात्कार की कार्यवाही प्रत्येक दिन सोमवार से शनिवार (अवकाश दिवस को छोडकर) वाक–इन इंटरव्यू के द्वारा इच्छुक अभ्यर्थी को साक्षात्कार के 02 दिवस पूर्व अपना आवेदन पत्र प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर में प्रस्तुत करना होगा।
2. संविदा पर तैनात होने वाले अभ्यर्थी की संविदा अवधि 01वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने, जो भी पहले घटित हो, तक ही मान्य होगी। **नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्य काल को पुनः बढ़ाया जा सकेगा।**
3. नियतवेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत् चिकित्सा शिक्षक को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होगें।
4. शासनादेश संख्या 104/2019/5044/71–1–18–जी–63/2018, दिनांक 21–11–2019 के अनुसार संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको को नियत वेतन (रू0–135000/– आचार्यो, रू0–120000/–सह–आचार्यो एवं रू0–90000/–सहायक आचार्यो) देय होगा।
5. इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्ते शासन द्वारा समय–समय पर पूर्व में निर्गत भिन्न–भिन्न शासनादेशानुसार होगी।
6. इस हेतु आवेदक को Medical Counil of India or National Medical Commission, Minimum Qualification for Medical Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998 द्वारा निर्धारित समय–समय पर जारी संशोधन/नोटिफिकेशन के अनुसार अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
7. आरक्षण सम्बन्धी 100 बिन्दुओं का रोस्टर/शासनादेश संख्या 5/2019/4/1/2002/का–2/2019टी0सी0–1, दिनांक 13–08–2019 का अनुपालन मान्य होगा। यदि किसी विशिष्टता में कैटेगरी का अर्ह अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होता है, तो उक्त पद को उपलब्ध अर्ह सामान्य अभ्यर्थी के द्वारा भरा जायेगा।
8. शासनादेश संख्या–562/71–1–2020–जी–63/2008 दिनांकः 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम् आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य 60 वर्ष, सह आचार्य 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
9. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बंधी सुविधाओ का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होगा।
10. संविदा चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिए हकदार नहीं होंगे।
11. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय/शपथ पत्र प्रस्तुत करेगे कि ''उनके विरूद्व माननीय न्यायलय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नही है, और किसी अन्य मेडिकल कालेज व संस्थान में कार्यरत नही है और यदि उनके विरूद्व को प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाये समाप्त कर दी जायेगी''।

भवदीय,

(प्रो0 शिव कुमार)
प्रधानाचार्य

[...]नाथ सिंह स्वशासी राज्य
[...] महाविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः मेडि0का0जौ0/2022–23/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य वाही हेतु प्रेषितः–

1–निजी सचिव, माननीय मंत्री जी चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार।

2–प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

3–महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, छटवाँ तल, उ0प्र0 लखनऊ, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

4–जिलाधिकारी जौनपुर /जिला सूचना अधिकारी जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जिला जौनपुर की बेवसाइट **https://jaunpur.nic.in** पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

5–समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

6–मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय,जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने चिकित्सालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का कष्ट करें।

7–सूचना पटट्, कार्यालय मेडिकल कालेज जौनपुर।

(प्रो0 शिव कुमार)
प्रधानाचार्य